भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 78 (आर.ई.–2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2014

विषयः दालों (काबुली चना और 10,000 टन आर्गेनिक दालों को छोड़कर) के निर्यात पर लगायी गई रोक को अगले आदेश तक बढ़ाए जाने के संबंध में।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.15 (आरई–2006)/2004–2009 दिनांक 27.06.2006 के पैरा 3 को तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है।

2. प्रारंभ में दालों के निर्यात पर अधिसूचना सं.15 (आरई–2006)/2004–2009 दिनांक 27.06.2006 के द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए रोक लगायी गयी थी जिसे समय–समय पर बढ़ाया गया। यह विस्तार अधिसूचना सं.38 (आरई–2013)/2009–14, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार दिनांक 31.03.2014 तक के लिए है। अब दालों के निर्यात पर लगायी गयी रोक को अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है। यह रोक काबुली चना पर लागू नहीं होगी।

3. इसके अतिरिक्त अगले आदेश तक दालों के निर्यात पर लगी रोक अधिसूचना सं.51 (आरई–2010)/2009–2014, दिनांक 03.06.2011 के माध्यम से यथा–अनुमत, प्रति वर्ष 10,000 मी. टन आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स के निर्यात पर लागू नहीं होगी। तद्नुसार, अधिसूचना सं.38 (आरई–2013)/2009–2014, दिनांक 25.03.2013 के संशोधित पैरा 3(i) का पाठ निम्नानुसार होगाः

" 3(i) दालों के निर्यात पर रोक की वैधता–अवधि को अगले आदेश तक बढ़ाया जाता है। यह रोक (1) काबुली चना और (2) प्रति वर्ष 10,000 मी.टन आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स के निर्यात पर लागू नहीं होगी। आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः

(क) मात्रा की सीमा 10,000 मी. टन प्रति वर्ष होगी;

(ख) इसे एपिडा के द्वारा आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स के रूप में विधिवत प्रमाणित होना चाहिए;

(ग) पोत लदान से पूर्व निर्यात संविदाएं एपिडा, नई दिल्ली के पास पंजीकृत होनी चाहिए;

(घ) निर्यात केवल सीमा–शुल्क ईडीआई पत्तनों से अनुमत होगा।"

4. इस अधिसूचना का प्रभावः

दालों के निर्यात पर लगायी गयी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। परंतु इसके दो अपवाद हैं। पहला अपवाद काबुली चना का निर्यात है। दूसरा, आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स का निर्यात है, परंतु यह प्रति वर्ष 10,000 मी.टन की सीमा के अंदर और ऊपर वर्णित कुछ शर्तों के अध्यधीन है।

(मधुसूदन प्रसाद)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/1776/एएम09/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)